

अध्याय 20

संक्रमणकालीन उपबन्ध

धारा 139 : विद्यमान करदाताओं का प्रव्रजन

- (1) नियत दिन से ही विद्यमान विधियों में से किसी के अधीन रजिस्ट्रीकृत और विधिमन्य स्थायी खाता संख्यांक रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, अनंतिम आधार पर, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा, जिसे जब तक कि उपधारा (2) के अधीन अंतिम प्रमाणपत्र द्वारा प्रतिस्थापित नहीं कर दिया जाता, तब रद्दकरण के लिए दायी होगा यदि इस प्रकार विहित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है।
- (2) रजिस्ट्रीकरण का अंतिम प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, प्रदान किया जाएगा।
- (3) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया नहीं समझा जाएगा यदि उक्त रजिस्ट्रीकरण, ऐसे व्यक्ति द्वारा फाइल किए गए किसी आवेदन के अनुसरण में रद्द कर दिया जाता है कि वह धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं था।